

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28(28)पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना-पद./2022/1504

जयपुर,दिनांक:- 15/06/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- नागौर।

विषय:- ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।


निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें:-

क्र.स	नाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री शिवदयाल चौधरी पुत्र श्री रामूराम	ग्राम पंचायत जुसरी पंचायत समिति मकराना जिला नागौर	पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर(रिक्त पद पर)
2	श्री प्रदीप गुगड पुत्र श्री कीताराम	ग्राम पंचायत बुडसु पंचायत समिति मकराना जिला नागौर	पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर(रिक्त पद पर)
3	श्री दीपाराम गुर्जर	ग्राम पंचायत हीराणी पंचायत समिति नावां जिला नागौर	ग्राम पंचायत सरगोठ-पदमपुरा पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर
4	श्री सुरेन्द्र बाजडोलिया	ग्राम पंचायत जसराना पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर	ग्राम पंचायत लिचाना पंचायत समिति नावां जिला नागौर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 4.यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

5.यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।


(डॉ.रौनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्काल पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक पंचायती राज विभाग ।
6. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर ।
7. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)